अंतिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बॉदीकुई मुकाम–बांदीकुई
जज इजलास– रामसिंह राजावत आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (फास्टे–ट्रेक) बांदीकुई
उनवान– हीरालाल बनाम प्रभात्या वगै.
दावा बाबत– दावा बॅटवारा बाबत भूमि काश्त स्थित बास बिवाई तहसील बसवा
मु.न. 104/2018

आदेश है कि वादी वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर ग्राम तहसील बांदीकुई जिला दौसा रामा बास बिवाई तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि काश्त खसरा नम्बर 972 रकबा 34 ऐयर चाही एक, खसरा नम्बर 973 रकबा 54 ऐयर चाही एक, खसरा नम्बर 974 रकबा एक हैक्टेयर 93 ऐयर बारानी ए०, खसरा नम्बर 975 रकबा 1.63 हैक्टेयर बारानी ए०, खसरा नम्बर 996 रकबा 40 ऐयर चाही ए०, खसरा नम्बर 997 रकबा 1.08 हैक्टेयर चाही ए०,खसरा नम्बर 998 रकबा 38 ऐयर चाही ए०, खसरा नम्बर 999 रकबा 53 ऐयर चाही ए०, रकबा 1000 रकबा 41 ऐयर चाही ए०, खसरा नम्बर 1001 रकबा 45 ऐयर बारानी ए०, खसरा नम्बर 1002 रकबा 35 ऐयर बारानी ए०, खसरा नम्बर 1003 रकबा 32 ऐयर बारानी ए०, कुल किता 12 रकबा 8.36 हैक्ट० में तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात पत्रांक 3277 दिनांक 20.06.2024 अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे, साथ ही प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाता है कि वादी के हिस्से में आयी भूमि पर कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करे।

निज................................मुबलिग...बाबत्...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।

10/12/25
(रामसिह राजावत)
आरएएस
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
बांदीकुई

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

दस्तखत........................ 10/12/25
ओहदा........................

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यापालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

न्यायालय सहायक कलक्टर बांदीकुई जिला दौसा

मुकदमा नम्बर 104/2018
न्यायालय हाजा में दर्ज दिनांक 9/12.08.2024
निर्णय दिनांक 10.12.2025

उनवान

1. हीरालाल उम्र 65 वर्ष पुत्र भम्बल
2. रामखिलाड़ी उम्र 61 वर्ष पुत्र भम्बल

समस्त जातियान मीना निवासी बास बिवाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा (राज.)

वादीगणः—.........

बनाम

1. प्रभात्या उम्र 73 वर्ष पुत्र सरकन्या जाति मीना निवासी बास बिवाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा (राज.)।
2. रामकिशन फौत के बजाय :—

2/1 बाबूलाल } पुत्रान् रामकिशन
2/2 मलखान
2/3 कमल
2/4 अनोखी पुत्री रामकिशन
2/5 शांति पुत्री रामकिशन
2/6 हीरा देवी पत्नि रामकिशन
} समस्त जाति मीना निवासी बास बिवाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा (राज.)।

3. जगदीश पुत्र जौहरी फौत के बजाय :—

3/1 चमेली पत्नि जगदीश
3/2 दिनेश पुत्र जगदीश
3/3 महेश पुत्र जगदीश
} समस्त जाति मीना निवासी बास बिवाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा (राज.)।

4. रोशन पुत्र जौहरी जाति मीना निवासी बास बिवाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा
5. सुन्दर पत्नि जौहरी
6. झुमली पुत्री भम्बल फौत के बजाय :—

6/1 हरमुख पुत्र अर्जुनलाल
6/2 रामगोपाल पुत्र अर्जुनलाल
} जाति मीना निवासी कोठीन बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा (राज.)

7. घनश्याम पुत्र परत्या नाबालिग जरिये संरक्षक माता प्रेमदेवी पत्नि परत्या जाति मीना निवासी बास बिवाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा (राज.)।
8. प्रेम देवी पत्नि परत्या जाति मीना निवासी बास बिवाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा (राज.)।
9. छुट्टन पुत्र हरनारायण जाति मीना निवासी बास बिवाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा (राज.)।
10. पंजाब नेशनल बैंक जरिये व्यवस्थापक पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिवाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा (राज.)।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा (राज.)।

प्रतिवादीगणः———–

दावा बॅटवारा बाबत भूमि काश्त स्थित बास बिवाई तहसील बसवा

बाद वादीगण दावा दावा तकास्मा बाबत भूमि काश्त स्थित बास बिवाई तहसील बसवा का जरिये वकील विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा में पेश किया गया था, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः— रामा बास बिवाई तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि काश्त खसरा नम्बर 972 रकबा 34 ऐयर चाही एक, खसरा नम्बर 973 रकबा 54 ऐयर चाही एक, खसरा नम्बर 974 रकबा एक हैक्टेयर 93 ऐयर बारानी ए०, खसरा नम्बर 975 रकबा 1.63 हैक्टेयर बारानी ए०, खसरा नम्बर 996 रकबा 40 ऐयर चाही ए०, खसरा नम्बर 997 रकबा 1.08 हैक्टेयर चाही ए०,खसरा नम्बर 998 रकबा 38 ऐयर चाही ए०, खसरा नम्बर 999 रकबा 53 ऐयर चाही ए०, रकबा 1000 रकबा 41 ऐयर चाही ए०, खसरा नम्बर 1001 रकबा 45 ऐयर बारानी ए०, खसरा नम्बर 1002 रकबा 35 ऐयर बारानी ए०, खसरा नम्बर 1003 रकबा 32 ऐयर बारानी ए०, कुल किता 12 रकबा 8.36 हैक्ट० लगानी 259/— रूपये 36 पैसे स्थित है। जिसकी आबपासी चाह संख्या 861 प्रागपुरा से होती है । वादीगण का भूमि में सम्मिलित 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या एक का 3/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का सम्मिलित हिस्सा 3/16 प्रतिवादी संख्या 6 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का सम्मिलित 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/6 हिस्सा राजस्व अभिलेख में अंकित है। नकल जमाबन्दी व नक्शा पेश है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी समझौते से भूमि का बॅटवारा कर

सहायक कलेक्टर एवं

काश्त करते है परन्तु विधिवत नाप व बंटवारा ना होने के कारण विवाद पैदा होता रहता है। इसलिये तकास्मा कराना आवश्यक है।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रकरण में दिनांक 17.05.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार बांदीकुई को कुर्रेजात भिजवाने हेतु निर्देश दिये गये। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उनके पत्रांक 3277 दिनांक 20.06.2024 के द्वारा कुर्रेजात न्यायालय में पेश किये गये, जिस पर वादी हीरालाल द्वारा रास्ते संबंधित आपत्ति पेश की गई। प्रकरण में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 05.09.2024 के द्वारा पुनः कुर्रेजात मंगवाये जाने का निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उनके पत्रांक/8684 दिनांक 23.12.24 के द्वारा मौका रिपोर्ट भिजवाते हुये कुर्रेजात दिनांक 20.6.2024 पर पक्षकारान की सहमति व्यक्त करते हुये। पूर्व में जारी कुर्रेजात माने जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का पत्रांक 355 दिनांक 21.3.2025 पत्रावली स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु न्यायालय को भिजवाया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध मे न्यायालय हाजा द्वारा पत्रांक 43 दिनांक 03.04.2025 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को भिजवायी गई। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को पत्रावली प्रोसोडिंग में कोई स्टे नही होने के कारण प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई द्वारा पेश पत्र एवं कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार बांदीकुई से पूर्व में कुर्रेजात पत्रांक 3277 दिनांक 20.06.2024 के आधार पर दावा डिक्री करने का निवेदन किया गया।

बहस तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 8684दिनांक 23.12.2024 एवं कुर्रेजात कुर्रेजात पत्रांक 3277 दिनांक 20.06.2024 पर मनन किया गया कुर्रेजात पर वादी द्वारा आपत्ति पेश की गई थी। जिसके आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा पुन कुर्रेजात निर्णय दिनांक 05.09.2024 पारित किया गया था। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत पत्र के साथ मौका पर्चा रिपोर्ट पर पुर्व में भिजवाये गये कुर्रेजात पर वादी द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। तथा हस्ताक्षर किये गये है। पूर्व कुर्रेजात पर अन्य पक्षकारान की आपत्ति पेश नही है हुई इसलिये न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.09.2024 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत पत्रांक 8684दिनांक 23.12.2024 को स्वीकार किया जाकर वाद को कुर्रेजात पत्रांक 3277 दिनांक 20.06.2024 के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक भू. अ./2024/3277 दिनांक 20.06.2024 द्वारा पेश कुर्रेजात स्वीकार किये जाकर वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है तथा पक्षकारान का कुर्रेजात अनुसार निम्न प्रकार विभाजन किया जाता हैः–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख0 न0	रकबा
1.	अनोखी पुत्री रामकिशन हि. 9/800,उगन्ती पुत्री जौहरी हि. 9/160, ग्यारसी पुत्री प्रभात्या हि. 3/80, ग्यारसी पुत्री प्रभातीलाल हि. 3/400, गिर्राज पुत्र प्रभात्या हि. 3/40. गिर्राजप्रसाद पुत्र प्रभातीलाल हि. 3/400, घनश्याम पुत्र परस्या हि. 3/50, चमेली पत्नि जगदीश हि. 3/160, छुट्टन पुत्र हरनारायण हि. 1/5, जयकिशन पुत्र प्रभात्या हि. 31/200, जयकिशन पुत्र प्रभात्या हि. 3/400, दिनेश पुत्र जगदीश हि. 1/32, प्रेम पत्नि परस्या हि. 3/50, बाबूलाल पुत्र रामकिशन हि. 29/800, भगौती पुत्री प्रभातीलाल हि. 3/400, भगौती बाई पुत्री प्रभातीलाल हि. 3/80, मलखान पुत्र रामकिशन हि. 9/800, महेश पुत्र जगदीश हि. 1/32, रौशन पुत्र जौहरी हि. 13/160, लाली बाई पुत्री प्रभात्या हि. 3/80, लाली बाई पुत्री प्रभातीलाल हि. 3/400, शान्ति पुत्री रामकिशन हि. 9/800, हीरादेवी पत्नि रामकिशन हि. 9/800, समस्त जाति मीना सा. देह खातेदार	972/3 973/3 998/2 999/2 1000/3 1001/2 1002 1003 996 997	0.30 0.36 0.34 0.40 0.06 0.39 0.35 0.32 0.40 1.08
		किता 10	4.00
2.	हीरालाल पुत्र भम्बल हि. सम्पूर्ण जाति मीना सा. देह खातेदार	975/1 972/2 973/1 1000/2	0.29 0.03 0.08 0.29
		किता 04	0.69

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(मुख्य देहात) सिकराय

Scanned with OKEN Scanner

3.	अंगूरी पुत्री रामखिलाड़ी हि. 1/7, घोली पुत्री रामखिलाड़ी हि.1/7, भागन्ती पुत्री रामखिलाड़ी हि. 1/7, मंगली देवी पत्नि स्व. रामखिलाड़ी हि. 1/7, रामकेश पुत्र रामखिलाड़ी हि. 1/7, हरकेश पुत्र रामखिलाड़ी हि. 1/7, मुकेश पुत्र रामखिलाड़ी हि. 1/7, समस्त जाति मीना सा. देह खातेदार	975/2 972 973/2 998/1 999/1 1000/1 1001/1	0.29 0.01 0.10 0.04 0.13 0.06 0.06
		किता 07	0.69
4.	अनोखी पुत्री रामकिशन हि. 9/800, उगन्ती पुत्री जौहरी हि. 9/160, ग्यारसी पुत्री प्रभात्या हि. 3/80, ग्यारसी पुत्री प्रभातीलाल हि. 3/400, गिर्राज पुत्र प्रभात्या हि. 3/40, गिर्राजप्रसाद पुत्र प्रभातीलाल हि. 3/400, चमेली पत्नि जगदीश हिः 3/160, छुट्टन पुत्र हरनारायण हि. 1/5, जयकिशन पुत्र प्रभात्या हि. 3/40, जयकिशन पुत्र प्रभात्या हि. 3/400, दिनेश पुत्र जगदीश हि. 1/32, बाबूलाल पुत्र रामकिशन हि. 29/800, भगौती पुत्री प्रभातीलाल हि. 3/400, भगौती बाई पुत्री प्रभातीलाल हि. 3/80, मलखान पुत्र रामकिशन हि. 9/800, महेश पुत्र जगदीश हि. 1/32, रौशन पुत्र जौहरी हि. 9/32, लाली बाई पुत्री प्रभात्या हि. 3/80, लाली बाई पुत्री प्रभातीलाल हि. 3/400, शान्ति पुत्री रामकिशन हि. 9/800, हीरादेवी पत्नि रामकिशन हि. 9/800,10 समस्त जाति मीना सा. देह खातेदार	974 975/3	1.93 1.05
		किता 02	2.98

कुर्रेजात निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादी के हिस्से में आयी भूमि पर कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 10.12.2025 को निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

10/12/25

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
बांदीकुई